कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 5814/नातौ/अ–1(1)/2004, भोपाल दिनांक 28.12.04

प्रति,

जिलाध्यक्ष,
जबलपुर, म.प्र.

बिषयः– पेट्रोल/डीजल पंपों पर डिसपेंसिंग पंप की जांच, सत्यापन एवं मुद्रांकन बाबत्।

विषयान्तर्गत महाकौशल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, जबलपुर ने उनके पत्र दिनांक 20.10.04 द्वारा इस विभाग को अवगत कराया है कि पेट्रोल/डीजल पंपों की जांच का कार्य अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि बांट तथा माप मानक (प्रर्वतन) अधिनियम 1985 की धारा 27 से 31 तक पेट्रोल/डीजल पंपों के साथ अन्य नाप तौल उपकरणों की जांच तथा जांच में पाई गई अनियमितता पर अभियोजन की कार्यवाही करने का अधिकार केवल नाप तौल विभााग को ही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आवश्यकता पड़ने पर उक्त अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली अनियमितताओं से संबंधित वैधानिक कार्यवाही करने के लिये नाप तौल विभाग के क्षेत्र में पदस्थ अमले द्वारा कार्यवाही करने का कष्ट करें।

नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल

पृ.क्रं. ..../नातौ/अ–1(1)/04 भोपाल दिनांक, ...

प्रतिलिपि :–

महाकौशल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिऐशन, 625, शांति नगर, दमोह नाका, जबलपुर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल